मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र0313 / आर–632 / 2022 / ब–1 / चार,	भोपाल, दिनांक 27 / 07 / 2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय:– विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुदानों / विनियोगों के अंतर्गत मुख्यशीर्ष में जारी किये गए पुनर्विनियोजन एवं समर्पण से संबंधित आदेशों के संबंध में।

संदर्भ:– कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय) मध्यप्रदेश, भोपाल शाखा–ग्वालियर का पत्र कमांक रिपोर्ट (राज्य वित्त) / रिपोर्ट (विविध) / 2022–23 / जा.क.–22 दिनांक 18 / 05 / 2022 ।

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र में महालेखाकार कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य शासन के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुदानों / विनियोगों के अंतर्गत मुख्यशीर्ष में जारी किये गये पुनर्विनियोजन एवं समर्पण से संबंधित स्वीकृति आदेशों की समीक्षा के दौरान आदेशों में कमियाँ देखी हैं, जो निम्नानुसार है:–

(1) नियमानुसार "बजट नियमावली खंड–1 की कंडिका 26.9 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बचत को 15 जनवरी तक समर्पण किया जाना चाहिए" जबकि यह पाया गया है कि, विभागों द्वारा समर्पित की गई राशि को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समर्पित किया जाता है। साथ ही समर्पित की गई राशि किन कारणों से समर्पित की गई है, उसका उल्लेख स्वीकृति आदेशों में नहीं होता है।

(2) इसी प्रकार पुनर्विनियोजन स्वीकृति आदेशों में भी यह देखा गया है कि स्वीकृति आदेशों के साथ संलग्न पुनर्विनियोजन पत्रकों में " बजट अनुमान जिसमें वृद्धि / कमीं चाही गई है", उनके कारणों का भी उल्लेख नहीं होता है जबकि नियमानुसार कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

अतः अपने विभाग के समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार कार्यालय द्वारा अवगत कराये गये नियमानुसार समर्पण स्वीकृति आदेशों में समर्पण के कारणों का उल्लेख करने एवं पुनर्विनियोजन स्वीकृति आदेशों में कमी / वृद्धि के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र0920 / आर–632 / 2022 / ब–1 / चार, भोपाल, दिनांक 27/07 / 2022
प्रतिलिपिः–

आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि आई.एफ.एम.आई.एस सॉफ्टवेयर अंतर्गत नियमानुसार समर्पण स्वीकृति आदेशों में समर्पण के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने एवं पुनर्विनियोजन स्वीकृति आदेशों में कमी / वृद्धि के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने की व्यवस्था की अनिवार्यता लागू करने का अनुरोध है।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

File No.Report(SFAR)/Miscellaneous

R-प्रतियोग

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), मध्य प्रदेष, भोपाल, शाखा–ग्वालियर

क्र.–रिपोर्ट (राज्य वित्त) / रिपोर्ट (विविध) / 2022–23 / जा.क्र.-22 दिनांक 18/05/2022

प्रति,

संचालक / बजट,
मध्य प्रदेश शासन,
सी–303, वल्लभ भवन,
भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन–462004

मध्य प्र
वित्त विभाग
क्र 632 / आर .... / चार / ब–1
दिनांक 26/05/2022

विषय : विभागों द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न अनुदानों / विनियोगों के अंतर्गत मुख्यशीर्ष में जारी किये गए पुनर्विनियोजन एवं समर्पण से सम्बंधित स्वीकृति आदेशों के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, राज्य शासन के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न अनुदानों / विनियोगों के अंतर्गत मुख्यशीर्ष में जारी किये गए पुनर्विनियोजन एवं समर्पण से सम्बंधित स्वीकृति आदेशों की समीक्षा के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि, जारी किये गए पुनर्विनियोजन एवं समर्पण स्वीकृति आदेशों में कमियां देखी जाती है, नियमानुसार "बजट नियमावली खंड–1 की कंडिका 26.9 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बचत को 15 जनवरी तक समर्पण किया जाना चाहिए", जबकि यह पाया गया है कि, विभागों द्वारा समर्पित की गई राशि को वर्ष के अंतिम दिन समर्पित किया जाता है साथ ही समर्पित की गई राशि किन कारणों से समर्पित की गई है उसका उल्लेख स्वीकृति आदेशों में नहीं होता है जो कि नियमानुसार होना चाहिए।

इसी प्रकार पुनर्विनियोजन स्वीकृति आदेशों में भी यह देखा गया है कि स्वीकृति आदेशों के साथ संलन पुनर्विनियोजन पत्रकों में "बजट अनुमान जिसमें वृद्धि चाही गई है" एवं "बजट अनुमान जिसमें कमीं चाही गई है", उनके कारणों का भी उल्लेख नहीं होता है जबकि नियमानुसार कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

अतः निवेदन है कि, राज्य शासन के अधीन विभागों को निर्देशित करने का कष्ट कि, वर्ष के दौरान जारी किये जाने वाले पुनर्विनियोजन एवं समर्पण स्वीकृति आदेशों में कारण उल्लेखित किये जाए।

भवदीय,

Ndendra

SENIOR AUDIT OFFICER
ए.एम.जी.–III

क्र.–रिपोर्ट (राज्य वित्त) / रिपोर्ट (विविध) / 2022–23 / जा.क्र. दिनांक 18/05/2022
प्रतिलिपिः

1) वरिष्ठ लेखा अधिकारी, रिपोर्ट अनुभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

Sd/–
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
रिपोर्ट (राज्य वित्त)